बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC/171/2020- 549

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावर्रण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 02/08/2023

विषय– मो. अनवर अंसारी एवं मो. इकबाल अंसारी द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भेमड़ा मौजा के खाता संख्या–142, खेसरा संख्या–208, थाना–रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01995 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/56158/2020/1145, दिनांक 30.05.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 24.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 30.05.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 8,65,161.00 (रू० आठ लाख पैंसठ हजार एक सौ इकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219956158106, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINR5202306211 0006485 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
2	The State Government shall charge	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01995 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू०

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

	the Net Present Value (NPV) for the 0.01995 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated …………	9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रू० 19,108/- (उन्नीस हजार एक सौ आठ रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219956158106, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINR52023062110006485 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal ……..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.06.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's? guidelines shall be submitted before the issuance ………..	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 …………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall ………..	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place ……..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with …………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along ………………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01995 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/171/2020-549 दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ /वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ एवंमो. अनवर अंसारी, पिता–मो. मनमोहन अंसारी, वार्ड संख्या–11, रौता हाट रौता, बाईसी, जिला–पूर्णियाँ, पिन–854315 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Purnea/ Purnea Forest Division, Purnea.
3	Name of User Agency nature of proposal	Md. Anwar Ansari / IOCL Retail Outlet
4	Extent of forest area involved	0.01995 Ha.
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-
7	Date of 1st stage Clearance	30.05.2023
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a.Compensatory Afforestation	8,65,161/-
	b. Additional CA	-NA-
	C. Penal CA	-NA-
	d. Catchment Area Treatment	-NA-
	e. Wildlife Management Plan	-NA-
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-
	g. Net present Value	19,108/-
	h. Penal NPV	-NA-
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	(see table below)
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 21.06.2023
12	Any other remarks	

S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1	e-challan	CBINR52023062110006485	19,108/-	NPV
2		dated 21.06.2023	8,65,161/-	CA
		Total-	**8,84,269/-**	

(Arvinder Singh) 2/8/23
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

(50)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 678
दिनांक 25/07/2023
(कैम्पा एवं वन संरक्षण कोषांग)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 24/07/23

विषय– मो. अनवर अंसारी एवं मो. इकबाल अंसारी द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भेभड़ा मौजा के खाता संख्या–142, खेसरा संख्या–208, थाना–रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01995 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 432, दिनांक 16.06.2023,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबध मे कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/56158/2020/1145, दिनांक 30.05.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1–6 शर्त एवं B में 1–9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

भाग–A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,65,161.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219956158106, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINR52023062110006485 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01995 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 19,108/– को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219956158106, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINR52023062110006485 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry ds Website- http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

47

भाग–B: **Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगा।
2. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8. (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

मो० अनवर अंसारी

(अनवर अंसारी)
पिता–मो. मनमोहन अंसारी,
वार्ड संख्या–11, रौता हाट रौता,
बाईसी, जिला–पूर्णियाँ,
पिन–854315

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-06-2023

Agency Name.	MD ANWAR ANSARI
Application No.	1995615810б
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/56158/2020
Location.	BIHAR
Address.	Ward No.-11, Rauta haat, Rauta, BaisiPurnia
Amount(in Rs)	884269/-

Amount in Words :Eight Lakh Eighty-Four Thousand Two Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

CBINR52023062110006485

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219956158106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ ubin0903710@unionbankofindia.bank

21/06/2023

मो० 77398931

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OT.

orm-I
ear Pro
ent Of
ict Col
R IT M
onment
2009
compl
st Dwe
I to b
MoEF
forest
name
-208,
withi
and s
s of
of th
ad I
anag
he G
nize

(47)

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No.-2454 **Dated :-** 06.12.2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.015** hectares of forest land proposed to be **diverted** in favour of **Hindustan Petroleum Corporation Limited** (name of user agency) for **Retail Outlent Installing in Mauza-Bhebhara, Khata No-142, Plot No.-208, Thana-Rauta on the S.H-99** (purpose for diversion of forest land) in **Purnea** District falls within jurisdiction of **Rauta Gram Panchayat(s)** in **Baisa** tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.01995** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure..01.....to ...19....annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have giver their cosent to it ;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Encl: As Above.

06/12/22

District Magistrate,
Purnea

श्री सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में ।

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया - सदस्य
2. अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया - सदस्य
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी - सदस्य
4. जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया - सदस्य
5. श्री अशोक कुमार हाँसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) - सदस्य
6. श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-24, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) - सदस्य
7. श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) - सदस्य

बैठक में उपरोक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तद्दोपरान्त जिला वनाधिकार समिति के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

बैठक में पूर्णिया जिलान्तर्गत मेमड़ा ग्राम के खाता संख्या-142, प्लॉट संख्या-206, थाना-रौटा में एस0एच0-99 के पथ के किनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत 0.01995 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त पंचायत, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्राप्त पारित प्रस्ताव/अनापत्ति पर उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया गया।

प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत रौटा के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव/अनापत्ति को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रस्ताव हस्तगत कराया गया।

बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त ग्राम पंचायत स्तरीय प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने एवं उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहमति दी गयी।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अविलम्ब संचिका उपस्थापित करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

45

ज्ञापांक - 2263 / सा०, पूर्णिया दिनांक - 17-11-2021

प्रतिलिपि :- श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-24, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार हाँसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को उनके ज्ञापांक-505, दिनांक-18.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

16/11/21

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

कुमारी तोसी, बि०प्र०से०
अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी
(पूर्णियाँ) (MOB- 9473191362)

बिहार सरकार

Kumari Tosi, (B.A.S)
Sub-Divisional Officer, Baisi
(Email- sdo.baisee@gmail.com)

(44)

पत्रांक :- 4175

3788
7/10/22

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिया ।

बायसी, दिनांकः- 13/09/22

विषय :- पूर्णिया जिलान्तर्गत मेभड़ा मौजा के खाता सं0-142, प्लॉट सं0-208, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत् प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत् समिति का गठन के संबंध में ।

प्रसंग :- जिला पदाधिकारी महोदय, पूर्णिया के पत्रांक-1737/सा0, दिनांक-17.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत मेभड़ा मौजा के खाता सं0-142, प्लॉट सं0-208, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत् प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-1206, दिनांक-23.08.2022 द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत(रौटा) में वन अधिकार समिति की गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई गई है एवं अनुमंडल स्तरीय उप खंड स्तर की वन अधिकारी समिति से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्याई हेतु भेजी जा रही है ।

अनुलग्नकः- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
13.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी ।

आज दिनांक- 27/08/22 को

अनुमंडल पदाधिकारी बायसी की अध्यक्षता में मेमड़ा मौजा के खाता सं०-142, प्लॉट सं०-208, थाना- शैटा में NH-99 पथ के किनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने पहुँच पथ हेतु परियोजना के निमित्त वन भूमि अपयोजन हेतु FRA 2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के तहत अनुमंडल स्तर पर उप खण्ड स्तर की वन अधिकार समिति के गठन एवं आपत्ति के संदर्भ में बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बैसा प्रखंड के अन्तर्गत नामित व्यक्ति एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित हुए-

(हस्ताक्षर) 27.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी
बायसी

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा- (हस्ताक्षर)

सदस्य- श्री सिकन्दर आलम (मुखिया) ग्रा० पं० धुसमल, Mob No- 9771529893 (हस्ताक्षर) 27.8.22

सदस्य- श्री देव नारायण (पं० समिति सदस्य)
ग्राम पंचायत बलुआ गोवारा
Mob- 8252935825
(हस्ताक्षर) देवनारायण पासवान

सदस्य:- श्री राजीव कुमार दास
(ग्रा० पं० मुंगरा बिजली)
Mob No- 8294672254
(हस्ताक्षर) राजीव कुमार दास

42

प्रस्ताव - 1) अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि अपयोजन हेतु FRA-2006 के तहत सर्व सम्मति से अनुमंडल स्तरीय उप खण्ड स्तर की वन अधिकार समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित है!-

1) अध्यक्ष – अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
2) सदस्य :- श्री सिकन्दर आलम (मुखिया)
3) सदस्य :- श्री देवनारायण (पंचायत समिति सदस्य)
4) सदस्य :- श्री राजीव कुमार दास (पंचायत समिति सदस्य)

प्रस्ताव :-2) प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-1206, दिनांक- 23-08-2022 द्वारा संबंधित ग्राम- रायबेर, दि०- 20/08/22 द्वारा समर्पित SH-99 के किनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित अनापत्ति के साथ ग्राम सभा की प्रति बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुमंडल स्तर पर उप खण्ड समिति के समक्ष आपत्ति / अनापत्ति के संदर्भ में प्रस्ताव रखा गया। किन्हीं सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। भूमि के अपयोजन हेतु FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अधिनियम, 2006 तथा नियम 2008 के तहत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्रियान्वयन हेतु अनापत्ति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव:-3) वन अधिकार समिति द्वारा क्रमशः मौजा के खाता सं०- 142, प्लॉट सं०- 208, थाना- बैसा में SH-99 पथ के किनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्माण के लिए सहमति दी गई, तथा किसी सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

(41)

Date
Page

धन्यवाद के साथ आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) .08.22
अनुमंडल पदाधिकारी
बाघा (?)

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ)

पत्रांक

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बैसा (पूर्णियाँ)

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी (पूर्णियाँ)

बैसा / दिनांक 2.9.22

विषय :- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भेमड़ा मौजा के खाता सं0–142, प्लॉट सं0 –208 थाना–बैसा में SH– 99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रसंग :- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक–173 / ज0पूर्णियाँ, दिनांक–17.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भेमड़ा मौजा के खाता सं0–142, प्लॉट सं0–208, थाना–बैसा में SH–99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत् प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के आलोक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति का गठन कर भेजा आवश्यक है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बैसा (पूर्णियाँ)

परियोजना का नाम :- HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- सौठा

प्रखण्ड :- बैसा जिला :- पूर्णियाँ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रस्ताव में जिला-पूर्णियाँ प्रखण्ड-बैसा पंचायत-सौठा में HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु ([illegible] हेक्टेयर) अपयोजित वन भूमि 0 (शून्य) है। [illegible] भूमि 37 डी0 [illegible] तथा [illegible] 0 (शून्य) [illegible] भूमि 0 (शून्य) है। वन भूमि का [illegible] निर्माण के पक्ष में [illegible] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौठा द्वारा दिनांक 20.08.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विचार की गई। [illegible] है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी वन समितियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। सभा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम [illegible] (सौठा) के निवासियों को उक्त वन भूमि परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

मुखिया
ग्राम पंचायत राज सौठा
प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णियाँ

पंचायत सचिव [illegible]
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible] सभा

जिला [illegible] पंचायत [illegible] ग्राम [illegible]

[illegible] के द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के आलोक में आज दिनांक [illegible] को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित [illegible] का [illegible] किया गया है और [illegible]

01. सर्वसम्मति से वन अधिकार समिति का गठन किया गया है जिसमें ग्राम सभा की सर्वसम्मति से निम्न लिखित व्यक्ति शामिल किये गये हैं।

(1) [illegible] — अध्यक्ष

(2) निकोलस मुर्मू — सचिव

(3) [illegible] — सदस्य

(4) रवीन्द्र [illegible] — "

(5) विकास कुमार मरांडी — "

(6) [illegible] — [illegible]

(7) [illegible] मरांडी — "

(8) फुलमनी [illegible]

[illegible]

[illegible] मुखरी [illegible]

०४. वन अधिकार समिति अध्यक्ष श्री [illegible] द्वारा तथा सचिव श्री [illegible] मुर्मू [illegible] के सर्व सम्मति से चुना गया।

०५. ग्राम सभा की बैठक में प्रयोजना ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। जो वन अधिकार अधिनियम २००६ के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अन्यथा किसी गैर आदिवासी का परता/कृषि कार्य नहीं है।

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ता०

—x— —x—

(१) [illegible]

(२) मो० [illegible]

(३) मो० [illegible]

(४) [illegible]

(५) [illegible]

(६) [illegible]

(७) [illegible]

(38) 11 (36)

8 [illegible]

9 [illegible]

10 [illegible]

11 [illegible]

12 [illegible]

13 [illegible]

14

15 [illegible]

16 Md. Aftab Ansari

17 [illegible]

18

19 [illegible]

20 Mamta [illegible]

21 [illegible]

22 [illegible]

23 [illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

34

Scanned with CamScanner

[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(216) [illegible]

(217) [illegible]

(218) [illegible]

(219) [illegible]

(220) [illegible]

(221) [illegible] 25-08

(222) [illegible]

(223) [illegible]

(224) [illegible]

(225) [illegible]

(226) [illegible]

(227) [illegible]

(228) [illegible]

(229) [illegible]

(230) [illegible]

(231) [illegible]

Scanned with CamScanner

[redacted]

माई मुखजी

बैजनाथ [illegible]

बाल [illegible]

[illegible]

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बैसा का प्रेजने धन्यवाद प्रदान किया।

5.— वन अधिकार समिति द्वारा बैसा बाजार में [illegible] मौजा [illegible] थाना बैसा प्रखण्ड बैसा में S.H.-99 पथ के किनारे HPCL [illegible] निर्माण के लिए सहमति दी गई तथा कोई भी आपत्ति नहीं की गई।

[illegible] के साथ आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

मुखिया
ग्राम पंचायत राज सैया
प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णियाँ

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner